छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-18/2012/(6)52 नया रायपुर दिनांक 16/01/2018

प्रति,

संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय
हाथकरघा प्रभाग,
रायपुर,

विषय :- हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना सहायता नियम 2017 स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/हा./बुन.यो./2017718/2305, दिनांक 27.09.2017.

राज्य शासन एतद् द्वारा हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना सहायता नियम 2017 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियम की प्रति संलग्न है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक F-2017-48-00349 दिनांक 21.03.2017 द्वारा सहमति दी गई है।

सही
(एस.एल.आदिले)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

क्रमांक एफ 3-18/2012/(6)52 नया रायपुर दिनांक 16/01/2018

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनके पत्र कम्प्यूटर क्रमांक कम्प्यूटर क्रमांक F-2017-48-00349 दिनांक 21.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

सही

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना

सहायता नियम 2017

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा एक प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है। राज्य में इस उद्योग में रोजगार की विपुल संभावना एवं बुनाई कला संस्कृति को अक्षुण बनाये रखने हेतु शासन द्वारा उद्योग के विकास हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य के अधिकांश बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। कई बुनकर शिल्पियों के घर छोटे, कच्चे एवं खपरैल है, जिनमें पर्याप्त प्रकाश एवं हवा की व्यवस्था नही है। अतः बुनकरों को उनके निवास स्थान पर पर्याप्त कार्यस्थान तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से वे कौशल एवं श्रम का बेहतर उपयोग कर सकेंगें तथा स्वस्थ्य आवासीय वातावरण उपलब्ध होने से उनके स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः राज्य के कार्यशील हाथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास हेतु सहायता योजना संचालित है।

2. नियम –

यह नियम **हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास हेतु सहायता योजना नियम 2017** कहलायेंगें। इन नियमों के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों को हाथकरघा लगाने हेतु वर्कशेड निर्माण के लिए सहायता दी जावेगी तथा निर्मित भवन में बुनकर बुनाई कार्य के साथ-साथ अपने व अपने परिवार के निवास हेतु उपयोग कर सकेगा।

3. परिभाषाएं –

इन नियमों के प्रयोजन के लिए –

1. बुनकर से तात्पर्य वे सभी कार्यशील बुनकर से है, जिनकी 50 प्रतिशत् आय हाथकरघा वस्त्र बुनाई से अर्जित होता है।

2. संस्था से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति से है।

3. स्वसहायता समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है, जिनके सदस्य हाथकरघा वस्त्र बुनाई में संलग्न हो तथा इसके माध्यम से आजीविका चलाते हो।

4. प्रबंध समिति से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 में प्रावधानित प्रबंध से है।

4. योजना का उद्देश्य -

राज्य में हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकरों को जो आवासहीन हो तथा जिनके पास करघे लगाने के लिए वर्कशेड न हो अथवा कार्यरत बुनकर का आवास बहुत ही छोटा, कच्चा व खपरैल हो, ऐसे बुनकरों को इस येाजना के अंतर्गत सहायता दी जावेगी। योजना के तहत् बुनकर समिति के कार्यरत आवासहीन, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अजजा/अजा वर्ग के बुनकरों को सहायता दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। योजना का उद्देश्य कार्यशील बुनकर को उनके निवास स्थान पर कार्यस्थल तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।

5. पात्रता -

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना के तहत् सहायता की पात्रता उन बुनकरों को होगी, जो निम्न शर्तें पूरी करता हो -

1. सहायता प्राप्त करने वाला बुनकर कार्यशील प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति अथवा स्वयं सहायता समूह का कम से कम दो वर्ष से नियमित कार्यशील सदस्य हो तथा जो वर्ष में कम से कम 180 दिन बुनाई कार्य करता हो।
2. बुनकर के पास स्वयं अथवा पत्नी/पति के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि हो। यदि भूमि संयुक्त परिवार अथवा पिता अथवा माता के नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास निर्माण हेतु सहमति हो।

3. बुनकर सहकारी समिति में कार्यरत आवासहीन, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के बुनकरों को जिनका आवास बहुत ही छोटा, कच्चा और खपरैल हो, को सहायता दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. योजना के तहत् सहायता ऐसी बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से दी जावेगी, जिनमें हाथकरघा उद्योग की गतिविधियॉ तथा प्रबंध व्यवस्थित रूप से चल रहा हो तथा संस्था का रिकार्ड/ अभिलेख अद्यतन पूर्ण हो।

5. व्यक्तिगत रूप से विगत 05 वर्षो से कार्यरत हाथकरघा वस्त्र बुनाई करने वाले बुनकर को समीपस्थ बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से सहायता दी जावेगी।

6. योजनांतर्गत प्रदत्त सहायता

योजना के तहत् आवासहीन कार्यशील बुनकर सदस्य को हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-कर्मशाला सहायता योजना नियम के अंतर्गत एक इकाई के निर्माण हेतु 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त सहायता एक आवेदक समिति को एक वर्ष में अधिकतम 20 बुनकरों के लिए दी जावेगी।

सहायता की शर्ते :-

(1) बुनकर के पास स्वयं अथवा पत्नी/पति के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि हो। यदि भूमि संयुक्त परिवार अथवा पिता/माता अथवा पैतृक नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर शासकीय सहायता से हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास निर्माण हेतु सहमति हो। यदि बुनकर हितग्राही भूमिहीन हो तथा योजना के तहत् आवास निर्माण हेतु शासकीय भूमि अथवा पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमि मिली हो तो भी आबंटित भूमि का पट्टा संबंधित बुनकर हितग्राही के नाम का होना आवश्यक है। यदि भूखण्ड बुनकर सहकारी समिति के नाम से हो और समिति अपने कार्यरत बुनकर सदस्य को हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना के तहत् निर्माण हेतु सहमत हो तो समिति का सहमति पत्र आवश्यक होगा।

(2) आवेदक संस्था कार्यशील हो तथा संस्था का रिकार्ड/अभिलेख अद्यतन होना आवश्यक है।

(3) क्रियान्वयन बुनकर समिति, सहायता प्राप्त प्रत्येक बुनकर हितग्राही से शपथ पत्र निष्पादित करायेगी, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख होगा कि निर्मित हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास का उपयोग हाथकरघा स्थापना एवं संचालन हेतु तथा अपने व अपने परिवार के आवास के लिए उपयोग करेगा तथा उसे अन्य व्यक्ति को विक्रय अथवा किराये पर नही देगा। उल्लघंन किया जाना पाये जाने पर स्वीकृत सहायता की पूरी राशि मय ब्याज के शासन के पक्ष में जमा करना होगा तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) स्वीकृत सहायता राशि संस्था/जिला हाथकरघा अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा रहेगी तथा तीन किश्तों में संबंधित बुनकर हितग्राही के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से विमुक्त की जावेगी। प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि विमुक्ति के उपरांत निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में 30-30 प्रतिशत के रूप में विमुक्त की जावेगी।

(5) बुनकर द्वारा सहायता प्राप्ति के उपरांत किसी अन्य संस्था की सदस्यता ग्रहण करता है, अथवा स्वतंत्र रूप से बुनाई कार्य करता है तो इसकी जानकारी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जिला हाथकरघा कार्यालय को दी जावेगी।

(6) सहायता स्वीकृति के उपरान्त यदि लाभान्वित बुनकर किसी कारण वश सहायता से वंचित होता है तो उसके स्थान पर लाभान्वित किये जाने वाले नवीन बुनकर के नाम का अनुमोदन उपरोक्त कमेटी की अनुशंसा पर संबंधित जिला हाथकरघा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालक द्वारा दिया जा सकेगा।

(7) योजना के तहत् ऐसे बुनकर सदस्य सहायता के प्राप्त होंगें, जिन्हें इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् सहायता प्राप्त न हुई हो।

(8) वर्कशेड-सह-आवास योजना के तहत् स्वीकृत सहायता राशि से न्यूनतम 260 वर्गफीट का पक्का आर.सी.सी.रूफ भवन निर्मित करना आवश्यक होगा, जिसमें वर्कशेड, निवास कमरा, किचन, टायलेट निर्मित करना होगा। निर्माण की लागत स्वीकृत सहायता राशि से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय संबंधित बुनकर हितग्राही को स्वयं वहन करना होगा।

(9) योजना के तहत् बुनकरों के चयन के लिये निम्न चयन कमेटी होगी :-

क. संबंधित समिति का अध्यक्ष।

ख. संचालक मंडल के दो सदस्य।

ग. संचालक मंडल द्वारा समिति के कार्यरत बुनकर सदस्यों में से चुना गया एक बुनकर सदस्य।

घ. उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय।

(10) योजना के तहत् निर्माण पूर्ण कराने का दायित्व आवेदक संस्था का होगा।

(11) वर्कशेड-सह-आवास निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अवधि में आवेदक संस्था को बुनकर आवास का मूल्यांकन लो.नि.वि./ग्रा.यां. सेवा के उप अभियंता से कार्यपूर्णतः का मूल्यांकन कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला हाथकरघा कार्यालय के माध्यम से संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(12) वर्कशेड-सह-आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु ग्रामोद्योग विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-18/2016/(6)52 नया रायपुर दिनांक 30.08.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संबंधित हितग्राही का आधार कार्ड अनिवार्य होगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता सूची से डि-डुप्लीकेट करने के उपरांत ही सहायता स्वीकृति की पात्रता होगी।

7. स्वीकृति की सीमा -

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना के तहत् वित्तीय सहायता पात्र बुनकर सहकारी समिति को एक वर्ष में अधिकतम 20 बुनकरों के लिए स्वीकृत की जा सकेगी।

8. क्रियान्वयन हेतु समय सीमा -

योजना के क्रियान्वयन एजेंसी को राशि प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा राशि चालान द्वारा शासन के पक्ष में कोषालय में जमा कराना आवश्यक होगा।

9. सहायता का स्वरूप -

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना राज्य आयोजना के अंतर्गत होगी तथा सहायता राशि राज्य शासन द्वारा लाभान्वित संस्था/बुनकर को अनुदान के रूप में देय होगी।

10. प्रोजेक्ट तैयार करना -

जिले में कार्यरत बुनकर सहकारी समिति, योजना के नियम/शर्तों के अनुरूप बुनकरों का चयन कर प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर जिला हाथकरघा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा

प्रस्ताव का नियमानुसार परीक्षण कर स्थल निरीक्षण व औचित्य टीप तथा अनुशंसा सहित संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।

11. योजना की स्वीकृति -

उक्त योजनांतर्गत प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव पर सहायता राशि की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा को होगा। संयुक्त संचालक हाथकरघा अथवा उससे अनिम्न श्रेणी के हाथकरघा अधिकारी को प्रति प्रस्ताव अधिकतम 25.00 लाख रू. स्वीकृति के अधिकार होंगें।

12. योजना की मानिटरिंग -

आवास-सह-कर्मशाला योजनांतर्गत स्वीकृत सहायता अनुसार योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंग हेतु संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

01.	संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा	-	अध्यक्ष
02.	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा	-	सदस्य
03.	संचालक द्वारा नामांकित राज्य के दो बुनकर सहकारी समितियों के कार्यरत एक-एक कार्यरत बुनकर प्रतिनिधि	-	सदस्य

13. योजना में संशोधन -

आवास-सह-कर्मशाला योजना के किसी नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन आदि के अधिकार राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग में निहित होंगें, जो सहायता प्राप्त संस्था के लिए बंधनकारी होंगे।

....

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत
वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. बुनकर सहकारी समिति का नाम : ....

 एवं पत्र व्यवहार का पता : ....

 ....

2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. संचालक मण्डल का निर्वाचन तिथि : ....

4. वर्तमान संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंधक का नाम : ....

 1. अध्यक्ष : ....

 2. प्रबंधक : ....

5. समिति की मूलभूत जानकारी :-

क्र.	विवरण	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	कुल सदस्य संख्या						
5.2	महिला सदस्य						
5.3	स्थापित करघे						
5.4	कार्यशील करघे अ. समिति के माध्यम से ब. संघ के माध्यम से स. अन्य के माध्यम से						
5.5	बंद करघों की संख्या						

6. नगद साख सीमा संबंधी जानकारी :-

6.1 बैंक का नाम ....

6.2 नगद साख सीमा स्वीकृत होने का वर्ष : .... राशि ....

6.3 साख सीमा खाते में जमा की गई राशि : ....

6.4 वर्तमान में कालातीत राशि : ....

क्रमशः ..2

7. उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी :- (विगत तीन वर्षो का)

वर्ष	वस्त्र उत्पादन राशि	बिक्री की राशि
1	2	3

8. लाभ, हानि की जानकारी (विगत तीन वर्षो का) :- (वित्तीय पत्रक संलग्न करें)

वर्ष	व्यापारिक लाभ (+)/हानि (-)	लाभ (+)/हानि (-)	संचित लाभ (+)/हानि (-)
1	2	3	4

9. अंकेक्षण की स्थिति - ....

10. हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत पूर्व में दी गई सहायता का विवरण :-

10.1 स्वीकृत वर्ष .... राशि ....

10.2 उपयोग की गई राशि ....

10.3 कोषालय में जमा की गई राशि ....

अ. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

ब. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

स. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

10.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क्रमांक .... व दिनांक .....

11. संस्था का ठहराव (संलग्न करें) ....

12. स्थल निरीक्षण रिर्पोट एवं औचित्य टीप) पृथक से संलग्न करें ....

क्रमशः ..3

13. हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास - अंको में ....
योजनान्तर्गत मांग की गई कुल सहायता - शब्दो में ....

प्रपत्र-1

हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत हेतु सहायता :-

क्र.	बुनकर संख्या	राशि	रिमार्क
1	2	3	4
1			
	योग -		

नोट - 1. आवासहीन एवं बी.पी.एल. बुनकरों को प्राथमिकता देंवें। राशनकार्ड/BPL कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
2. आवेदित बुनकरों की हस्ताक्षर युक्त सूची संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार।
3. स्वीकृत सहायता से निर्माण की लागत अधिक आने पर अधिक राशि हितग्राही द्वारा स्वंय वहन करने बाबत् हितग्राही एवं समिति का हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र।

4. शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन शौचालय सहित कर संलग्न करें।
5. बुनकर हितग्राही के पास स्वयं की भूमि उपलब्धता संबधी प्रमाण पटवारी हलका/सरपंच का प्रमाण पत्र तथा भू-अधिकार पत्रक, नक्शा, खसरा नं.आदि जिला हाथकरघा अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
6. बुनकर वर्कशेड सह आवास निर्माण पश्चात् उपयंत्री से मूल्यांकन रिर्पोट प्रस्तुत करना होगा।
7. अन्य किसी शासकीय योजनान्तर्गत हितग्राही को आवास निर्माण हेतु सहायता प्राप्त नही होने बाबत् ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

नोट :- बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु हितग्राही की सूची का प्रारूप (पृथक से संलग्न करें)

प्रपत्र-1 (क)

क्र.	हितग्राहियों /पिता का नाम	महिला / पुरूष	उम्र	जाति	वर्ग	पता	आधार न.	BPL क्रमांक	व्यवसाय	क्या बुनकर वर्तमान में बुनाई कार्य कर रहे है।	गतवर्ष बुनाई से आय	बुनकर का वर्तमान भवन कच्चा/पक्का है।	सहायता मांग राशि	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

उप/सहायक संचालक
हस्ताक्षर

अध्यक्ष
हस्ताक्षर

क्रमशः ..4

..बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, ...

// घोषणा पत्र //

1. प्रमाणित किया जाता है कि हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्र्तगत सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है।
2. हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्र्तगत सहायता राशि का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन स्वीकृत वर्ष के 01 वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से की जावेगी। अन्यथा संस्था द्वारा मूल राशि मय ब्याज शासकीय चालान द्वारा कोषालय में जमा कराई जावेगी।

3. योजनार्न्तगत स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित मद में नियमानुसार किया जावेगा। किसी प्रकार दुरूपयोग पाये जाने पर सहायता राशि एकमुश्त मय ब्याज वसूली हेतु हमारी संस्था सहमत है।

हस्ताक्षर एवं सील

अध्यक्ष.............. बुनकर सहकारी समिति मर्यादित.........

<u>जिला हाथकरघा कार्यालय .... का अनुशंसा प्रमाण पत्र</u>

.... बुनकर सहकारी समिति मर्या. .... जिला .. .. द्वारा हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनार्न्तगत .. .. हाथकरघा बुनकरों के लिए मांग की गई। वित्तीय सहायता प्रस्ताव के संबंध में आवेदक हितग्राहियों एवं संस्था का स्थल निरीक्षक किया गया। परिक्षण में आवेदित संबंधित हितग्राही सहायता हेतु पात्र पाये गयें। फलस्वरूप उक्त हितग्राहियों के लिए बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत राशि रू. ....मात्र वित्तीय सहायता की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर एवं सील

उप/सहायक संचालक हाथकरघा

क्रमशः ..5

(प्रस्ताव के साथ सादा पेपर में संलग्न करें।)

परिशिष्ट-एक

<u>// शपथ पत्र //</u>

यह शपथ-पत्र आज दिनांक .... को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा छत्तीसगढ़ (जिन्हें स्वीकृतकर्ता कहा गया है) इस संबंध में उसके उत्तराधिकारी जो पद पर हो सम्मिलित करते हुए प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष .... बुनकर सहकारी समिति मर्यादित .... जिला .... जिनका पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....

है और जो अपने सचिव/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष के मार्फत कार्य कर रही है, जिसे इसके पश्चात संस्था/इकाई कहा गया है।

चूंकि संस्था/इकाई के आवेदन पत्र के आधार पर संस्था को उनके बुनकर सदस्यो द्वारा हाथकरघा वस्त्र उत्पादन के प्रयोजन हेतु इसमें इसके पश्चात दिये गये योजना नियम और शर्तो पर रूपया .... अक्षरी.. रूपये मात्र हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनार्न्तगत वित्तीय सहायता लेने के लिए सहमत है। अतएव अब यह अनुबंध किया जाता है, कि :-

1. संस्था/इकाई हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास योजनार्न्तगत कुल बुनकर हितग्राही .... रूपये .. .. अक्षरी .... रूपये मात्र की प्राप्ति स्वीकार करती है।

1. संस्था/इकाई द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता राशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई है। नियमानुसार उसी प्रयोजन में स्वीकृत नियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन उपयोग करेगा और उसके किसी भी अंश/भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन मे नही करेगा।

2. संस्था/इकाई ऐसे उद्देश्य तथा निर्देशों का पालन करेगी जो संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा द्वारा समय-समय पर दिये जावेगें। संस्था/इकाई ऐसे नियत कालीन विवरण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जैसे कि संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा समय-समय पर आदेशित करें।

क्रमशः ..6

4. उक्त योजनान्तर्गत राशि के दुरूपयोग की स्थिति में दी गई सहायता रकम भू राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

5. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

दिनांक ....

<u>प्रथम पक्ष</u>

साक्षी का नाम व हस्ताक्षर उप/सहायक संचालक

1. हाथकरघा छ.ग. रायपुर

2.

3.

प्रथम पक्षकार

नाम एवं पता

सचिव/प्रभारी अधिकारी/संस्था अध्यक्ष

......................बुनकर सहकारी समिति मर्यादित

......................जिला .... छ.ग.

क्रमशः ..7

नोट - शपथ-पत्र सादा पेपर पर होगा। **परिशिष्ट- दो**

शपथ पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत बुनकर हाथकरघा वर्कशेड सह आवास योजनान्तर्गत निर्माण हेतु सहायता नियम 2017 के अंतर्गत राज्य शासन आयुक्त/संचालक हाथकरघा के ज्ञापन क्रमांक .... दिनांक .... से .... बुनकर सहकारी समिति मर्यादित ... . जिला .... (पंजीयन क्रमांक ....) सहायता राशि रूपये .... (अक्षरी रूपये ....)स्वीकृत किये है।

हमारी संस्था इस संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत नियमों, निर्धारित शर्तो एवं संचालक हाथकरघा द्वारा इस बाबत् समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगी।

हमारी संस्था यह भी मान्य करती है कि यदि किन्ही शर्तो का उल्लघंन हुआ तो बुनकर वर्क शेड सह आवास की प्राप्त संपूर्ण शासकीय सहायता राशि की वापसी संस्था की अन्य संपत्ति से भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जावेगी।

यह शपथ आज दिनांक .... को .... बुनकर सहकारी समिति संस्था मर्यादित .... जिला ....की ओर से निष्पादित किया गया है।

साक्ष्य

1. (नाम व पूरा पता)

1. अध्यक्ष
(नाम व संस्था की मुद्रा)

2. (नाम व पूरा पता)

2. सचिव
(नाम व संस्था की मुद्रा)

3. सदस्य प्रबंध समिति
(नाम व संस्था की मुद्रा)

क्रमशः ..8

परिशिष्ट ''तीन''

(आवेदक बुनकर द्वारा भरा जाय)

शपथ पत्र

(तीन प्रतियों में भराया जावे) (सादे पेपर पर) एक प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय। एक प्रति जिला हाथकरघा अधिकारी के कार्यालय में रखी जावे तथा एक प्रति संस्था में रखी जावे।		इस स्थान पर बुनकर हितग्राही का पासपोर्ट साईज का फोटो जिला हाथकरघा अधिकारी से प्रमाणित कराकर चस्पा किया जावे।

(बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु चयन किये गये हितग्राहियों द्वारा भरा जावे)

मै .... आत्मज .... उम्र....... जाति .... वर्ग ....निवासी ग्राम .... तहसील ....जिला .... को ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजनान्तर्गत

सहायता प्राप्त होगा, उसका उपयोग मेरे द्वारा योजना स्वीकृत नियम एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जावेगा। योजनान्तर्गत वर्कशेड सह-आवास निर्माण के पश्चात् संस्था द्वारा परिशिष्ट-एक पर दिये अनुबंध अनुसार मेरे द्वारा हाथकरघा वस्त्र उत्पादन प्रयोजन हेतु किया जावेगा। यदि मेरे/परिवार द्वारा 10 वर्ष पूर्व हाथकरघा वस्त्र उत्पादन बंद करके अन्य व्यवसाय करेगा तो योजनान्तर्गत स्वीकृत सम्पूर्ण सहायता की राशि हितग्राही से भू-राजस्व के अवशेष के रूप में वसूली की जावेगी। एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरधा के साथ यह शपथ पत्र निष्पादित करता/करती हूं।

यदि उपरोक्त वर्णित बातों के उल्लंघन का दोषी पाया जाऊं तो उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय .... को अधिकार होगा कि वह मुझे बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत सहायता राशि एकमुश्त वसूल कर सकेगा।

उपरोक्त शपथ पत्र मेरे द्वारा स्वेच्छा से आज दिनांक .... को निम्नांकित गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया।

साक्षी

1 हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता

2 हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता

हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता

क्रमशः ..9

(जिला कार्यालय हेतु)

परिशिष्ट ''चार''

करार विलेख

यह करार आज दिनांक .... माह .... सन् .... को प्रथम पक्ष राज्यपाल छत्तीसगढ़ जिनकी ओर से संयुक्त संचालक हाथकरघा छत्तीसगढ़ कार्य कर रहे है। (इस विलेख में उन्हें राज्यपाल संबोधित किया गया है एवं उसमें आवश्यकतानुसार उनके कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।) तथा द्वितीय पक्ष में अनुदान प्राप्तकर्ता .... सहकारी समिति मर्यादित .... जिला (.........................) पंजीयन क्रमांक ....दिनांक .... है। (जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम सन् 1960 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है) जिनको आगे संस्था संबोधित किया गया है। चूंकि संस्था के आवेदन पर राज्य शासन अथवा संचालक हाथकरघा अथवा संयुक्त संचालक हाथकरघा द्वारा संस्था को उनके बुनकर सदस्यो की उद्योग के विकास के लिए ''हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजना नियम 2017 जिन्हें आगे नियम संबोधित किया गया है) के अंतर्गत अपने ज्ञापन क्रमांक ....दिनांक.....

..........द्वारा ....बुनकर वर्कशेड सह-आवास निर्माण हेतु राशि रूपये .... (अक्षरों में रूपये ....) अनुदान संस्था के माध्यम से प्रदान करना स्वीकार किया है। अतएव अब यह करार इस बात की साक्षी है और एतद् द्वारा यह करार किया गया है कि -

1. प्राप्तकर्ता को अनुदान रूपये .... (अक्षरों में रूपये ....) प्रदान किये गये है। अनुदान प्राप्तकर्ता हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास स्थापना करने में संपूर्ण अनुदान राशि का उपयोग एक वर्ष की समयावधि में करेगा/करेगी।
   .... स्थापना के उपरांत बुनकर उसे विक्रय, हस्तांतरण या अन्य प्रकार के उसके स्वामित्व में परिवर्तन नही करेगी। बिना संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) छत्तीसगढ़ की स्वीकृति/अनुमति के बिना उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नही करेगा/करेगी। उसे या उसका कोई भाग लीज पर, किराये पर या अन्य प्रकार किसी को उपयोग करने हेतु अनुमति नही देगा/देगी। उसे केवल हाथकरघा वस्त्र उत्पादन उद्योग के उपयोग हेतु की जावेगा। उसकी सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु समुचित सावधानी बरतेगी। इस संबंध में संचालक हाथकरघा के निर्देशों का पूर्ण पालन करेगा/करेगी।

क्रमशः ..10

3. इस नियम के समस्त प्रावधानों एवं उसमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन, परिवर्तन तथा उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तो का पूर्णरूपेण पालन करेगा/करेगी।

4. नियम तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो का पालन न करने पर समस्त अनुदान राशि का दुरूपयोग किया जाना समझा जावेगा एवं समस्त अनुदान की राशि एक मुश्त वसूली योग्य होगी । इस करार के अनुक्रमांक 2 अंतर्गत सहायता राशि की वसूली भू राजस्व के अवशेष की भांति की जा सकेगी।

5. नियम व उपरोक्त वर्णित शर्तो के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

हस्ताक्षर एवं मुद्रा
संयुक्त संचालक हाथकरघा

नाम

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता) (राज्यपाल की ओर से) दिनांक

2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)

हस्ताक्षर

अध्यक्ष अथवा सचिव एवं मुद्रा

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता) बुनकर सहकारी संस्था

2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता) (संस्था की ओर से)

दिनांक

बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजनान्तर्गत सहायता हेतु चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का नाम	संलग्न अभिलेख हां/नही	प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक कहा से कहा
1.	वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र		
2.	विगत 03 वर्षो की अंकेक्षित वित्तीय पत्रक		
3.	संस्था संचालक मंडल बैठक का प्रस्ताव ठहराव		
4.	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन रिर्पोट		
5.	सहायता स्वीकृति हेतु औचित्य टीप		
6.	जिला हाथकरघा कार्यालय का अनुशंसा प्रमाण-पत्र		

7.	बुनकर वर्कशेड सह-आवास हेतु परिशिष्ट-1,2,3 तथा 4 में जानकारी		
8.	हितग्राही के पास भूमि उपलब्ध नक्शा खसरा की जानकारी		
9.	शासकीय निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार निर्माण प्राक्कलन		
10.	हितग्राही बुनकर के पास भूमि उपलब्धता संबंधी समिति/सरपंच का प्रमाण पत्र		
11.	बुनकर वर्कशेड सह-आवास हेतु चयनित हितग्राहियों की सूची		
12.	संस्था का संयुक्त सेंविंग बैंक खाता का वेन्डर रिर्पोट		

उप/सहायक संचालक
जिला हाथकरघा कार्यालय
जिला ....

हाथकरघा बुनकर वर्डशेड सह आवास योजना अंतर्गत सहायता हेतु बुनकर हितग्राही का आवेदन पत्र

1.	आवेदक बुनकर का नाम श्री/श्रीमती/कु.	:-	....
2.	आवेदक के पिता/पति का नाम	:-	....
3.	आवेदन का उम्र.............जाति.............		वर्ग......................................
4.	आवेदक का निवास पता	:-	....
			....
			....
5.	क्या आवेदक बी.पी.एल. कार्य धारी है तो बी.पी.एल. (छायाप्रति संलग्न करें)	:-	....
6.	आवेदक का बैंक A/C नं. तथा बैंक का नाम	:-	....

			....
7.	आवेदक का स्वंय का आवास है या नहीं/यदि स्वंय का आवास है या घास का छज्जा है और मकान कितने वर्ग फीट में निर्मित है।	:-	....
8.	यदि आवेदक का मकान पक्का है तो कितने वर्ग फीट में निर्मित है।	:-	....
9.	क्या आवेदक वर्तमान में हाथकरघा पर बुनाई कर रहा है। यदि हां तो आवेदक की गतवर्ष हाथकरघा वस्त्र बुनाई से वार्षिक आय	:-	....
10.	आवेदक के पास बुनाई के अतिरिक्त आय का कोई और साधन है यदि हां तो संक्षिप्त वितरण देते हुए वार्षिक आय	:-	....
11.	हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वंय अथवा पारित के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि है तो किसके नाम पर है और कितना भू-खण्ड है। नक्शा/खसरा की छायाप्रति संलग्न करे।	:-	....
12.	यदि भूमि संयुक्त परिवास अथवा पिता अथवा माता के नाम से हो तो उनके स्वामित्व की भूमि पर हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह आवास निर्माण हेतु सहमत है यदि हो तो सहमति पत्र संलग्न करें।	:-	
13.	क्या आवेदक कम से कम दो वर्ष से बुनकर समिति का नियमित कार्यशील सदस्य है जो वर्ष में कम से कम 180	:-	हां/नही

	दिन बुनाई कार्य किया है।		
14	सहायता राशि से निर्माण लागत अधिक आने पर हितग्राही स्वंय वहन करने हेतु सहमत है या नहीं	:-	हां/नही
15	क्या बुनकर को इंदिरा आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना, अटल योजनान्तर्गत सहायता दी गई है।	:-	हां/नही

आवेदक का पत्र (सारे कागज में)

मै.............................आत्मज ....उम्र...............

जाति.............वर्ग........................ग्राम.....................तहसील.....................जिला.... ....का निवासी हुं। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं सहीं है।

आवेदक का शपथ-पत्र

मैं बुनकर वर्कशेड हेतु सहायता से निर्मित बुनकर वर्कशेड सह आवास कर उपयोग हाथकरघा स्थापना एवं संचालन हेतु तथा अपने व अपने परिवार के आवास के लिए उपयोग करूंगा तथा उसे अन्य व्यक्ति को विक्रय या किराये पर नहीं हुआ। उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर स्वीकृत सहायता की पूरी राशि मय ब्याज शासन के पक्ष में जमा करूंगा। इस संबंध में मेरे निकट वैधानिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार रहुंगा।

उप/सहायक संचालक हाथकरघा जिला हाथकरघा कार्यालय का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

आवेदक बुनकर श्री/श्रीमती.............................पिता.....................ग्राम............ विकासखण्ड ....जिला...................द्वारा बुनकर वर्कशेड सह आवास सहायता हेतु

दी गई जानकारी स्थल निरीक्षका के दौरान सही पाई गई। उक्त हितग्राही को बुनकर वर्कशेड आवास योजनान्तर्गत राशि ....सहायता स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

.............................बुनकर सहकारी समिति मर्या. ....

का प्रमाण-पत्र

आवेदक बुनकर श्री/श्रीमति/कु..............................पिता..............................ग्राम........ ....विकासखंड जिला.............................द्वारा दी गई जानकारी सही है उक्त आवेदक को बुनकर वर्कशेड सह आवास हेतु हाथकरघा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

13. बुनकर वर्कशेड सह आवास योजना के तहत स्वीकृत सहायता राशि से सुचना 260 वर्गफीट पक्का आर सी.सी.एफ. भवन निर्मित करने हेतु सहमत है। जिसके वर्कशेड निवास कमरा, किचन टायलेट निर्मित करना होगा।

14. निर्माण की लागत स्वीकृत राशि अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि बुनकर/हितग्राही स्वंय तहत करने हेतु सहमत है हां या नहीं।